न्यायालयश्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ भोपाल.

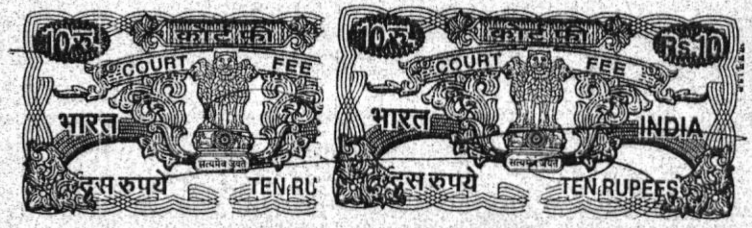

रशीद अलीशाह पिता श्री अशरफ अली शाह,

निवासीगोठाना तहसील व जिला बैतूल.---- पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/1985

म.प्र. शासन द्वारा ------- उत्तरवादी.

कलेक्टर महोदय बैतूल

पुनरीक्षण :- आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्वसंहिता.

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदनहै :-

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग, केराजस्व प्रकरण क्रमांक- 355/अपील/वर्ष 2015-16 के आदेश दिनांक- 23.03.2017 जिसमें पक्षकार रशीद अली शाह बनाम म.प्र. शासन थे से क्षुब्ध होकर उक्त पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालयके समक्ष प्रस्तुत की जारही है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./17/1985 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.11.2017	प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अपर कलेक्टर के निगरानी प्रकरण में हुये आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ समाप्त की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	